Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार प्रकरण में बड़ी कार्रवाई : रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के विरुद्ध चालान पेश**
- **पूर्व मंत्री सहित अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी।**

जयपुर, दिनांक 04 जून, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान द्वारा जल जीवन मिशन में हुए बहुचर्चित एवं व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आज रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के विरुद्ध माननीय एसीबी न्यायालय संख्या–1, जयपुर में चालान प्रस्तुत किया गया। लगभग **17,500 पृष्ठों** का यह विस्तृत चालान एसीबी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि प्रकरण में एसीबी द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (SIT) के अनुसंधान से यह तथ्य सामने आए कि फर्जी दस्तावेजों एवं कूटरचित कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्रों के आधार पर लगभग 979.27 करोड़ रुपये के टेंडर प्राप्त किए गए तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुछ अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से व्यापक वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया गया।

अनुसंधान के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ निविदाओं में नियमों के विपरीत शर्तें सम्मिलित कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया गया, जिससे टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई तथा राज्य को बड़े स्तर पर वित्तीय नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए गए।

उक्त प्रकरण में पूर्व में एसीबी द्वारा **दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, निरिल कुमार, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी.के. गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी एवं मुकेश पाठक** सहित कुल 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रकरण में पूर्व मंत्री महेश जोशी, संजय बड़ाया एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में अनुसंधान जारी रखा गया है तथा उनके विरुद्ध जांच लंबित है। अनुसंधान से यह भी प्रकट हुआ कि तत्कालीन मंत्री श्री महेश जोशी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी श्री सुबोध अग्रवाल, विभागीय अधिकारियों, संवेदकों, निजी व्यक्ति संजय बड़ाया एवं अन्य के मध्य मिलीभगत कर 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले मेजर

प्रोजेक्ट्स की निविदाओं में नियमों के विरुद्ध साइट विजिट प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता शामिल की गई। इससे बोलीदाताओं की पहचान उजागर होने के कारण टेण्डर पुलिंग को बढ़ावा मिला तथा 30 से 40 प्रतिशत तक असामान्य रूप से उच्च टेण्डर प्रीमियम प्राप्त हुए। अनुसंधान में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य के टेण्डरों में पद के दुरुपयोग एवं व्यापक भ्रष्टाचार के तथ्य प्रमाणित पाए गए है।

अनुसंधान पूर्ण होने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह चालान एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में गठित एसआईटी के अंतर्गत टीम के सदस्य – **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप, श्री भूपेंद्र सिंह एवं महावीर प्रसाद शर्मा** द्वारा किये गए अनुसंधान पश्चात् आज माननीय न्यायलय में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष, गहन एवं प्रभावी अनुसंधान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।